


कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 440 T.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में										
30/07/2020	<p>जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती <u>जुलाम महि</u> पिता/पति <u>रुही महि</u></p> <p>मौजा <u>वाजोहास</u> थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- <u>49</u> / <u>64-65</u> के आधार पर दर्ज है।</p> <p>जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के <u>अग्र</u> के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।</p> <p style="text-align: center;">भूमि की विवरणी:-</p> <table border="1" data-bbox="219 945 1437 1438"><thead><tr><th>मौजा</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>वाजोहास</u></td><td><u>289</u></td><td><u>51</u></td><td><u>127</u></td><td><u>1.00 (कड़)</u></td></tr></tbody></table> <p>सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- <u>07/08/2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी अड़की।</p>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा	<u>वाजोहास</u>	<u>289</u>	<u>51</u>	<u>127</u>	<u>1.00 (कड़)</u>	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा								
<u>वाजोहास</u>	<u>289</u>	<u>51</u>	<u>127</u>	<u>1.00 (कड़)</u>								

07/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के
नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती.....
..... पिता/पति मौजा-..... थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-..... थाना नं०..... खाता सं०.....
प्लॉट सं०..... रकबा-..... लगान रुपये अलावे
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-.....
..... थाना नं०.....के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,
अड़की।